न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 502–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 405/अपील/2008–09 ।

.....

श्रीमती छोटीबाई पुत्री श्री हल्केबीर लोधी
निवासी ग्राम रिछावर तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती मीराबाई विधवा लक्ष्मीनारायण लोधी,
2–लीलाबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण लोधी
निवासीगण ग्राम रिछावर तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम

रिछावर स्थित भूमि सर्वे कमांक 177/2/1 व सर्वे कमांक 374/1/1 कुल रकबा 5.93 एकड़ भूमि की वह भूमिस्वामी है । उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसके ससुर व देवर द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4–9–08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका कमांक 1 को दिलाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–11–2008 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–7–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं के आदेश का उल्लघंन कर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–3–2000 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिये थी, विचारण न्यायालय द्वारा अपनी गरिमा को नष्ट किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक पक्ष को उक्त संपत्ति से बेकब्जा न करने के आदेश दिये हुये है। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना भी है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति का उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया तो गया है, परन्तु इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है । स्पष्ट है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2012 अनुविभागीय अधिकारी रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–11–2008 तथा तहसीलदार, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–08 निरस्त किये जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर